

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प. 2(10)नविवि/II/2005

जयपुर, दिनांक: 20 JUL 2022

आदेश

श्री मृणाल जोशी, अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, रीको (RDA), जयपुर का दिनांक 02.02.2022 से दिनांक 23.02.2022 (22 दिवस) तक को पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा (APO) अवधि के दौरान राजस्थान सेवा नियम 7(8) ख (iii) के अन्तर्गत कर्तव्य पर मानकर नियमित करते हुए राजस्थान सेवा नियम 25 के अन्तर्गत उक्त प्रतीक्षा अवधि (APO) के वेतन भत्तों का भुगतान कार्यालय रीको (RDA), जयपुर में अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक के पद से करने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती हैं।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित हैं।

राज्यपाल की आज्ञा से,

S12
(नवनीत कुमार)

संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय

मान्य
2
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सहायक, मुख्य प्रबंध निदेशक, RIICO (RDA), जयपुर।
3. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
4. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को प्रेषित कर लेख है कि इस आदेश को नगरीय विकास विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
5. श्री मृणाल जोशी, अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक RIICO(RDA), जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

20/2/2022
संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय